

[श्री एस० एम० जोशी]

लात पर बातचीत करने के लिये तैयार हैं। पत्र में कहा गया है :

'It would encompass all outstanding issues'.

उन्होंने शर्त लगाई है कि अगर इस तरह की मशीनरी बनानी है, तो सब सवालों और मसलों को हल करने के लिये उपके सामने रखा जाये। इसका मतलब यह है कि काश्मीर और गंगा नदी के जल के प्रश्न भी उसके सामने आयें।

उसके बाद उन्होंने कहा है :

"We have explained our viewpoint at some length to Mr. Kewal Singh and given him our ideas of the type of self-executing machinery...".

इसमें पिवटल बात यह है कि पाकिस्तान के प्रैजिडेंट चाहते हैं कि कोई ऐसी मशीनरी बने, जिसके द्वारा सब सवालों का हल हो जाये। इसी तरह पहले फ़िरोजखां नून के साथ यह समझौता हुआ था कि हम आरविट्रेशन में जायेंगे और आरविट्रेशन का एवर्ड मानना पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या श्री केवल सिंह ने हूँकूमत, मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर को सैन्फ-एक्सीक्यूटिंग मशीनरी के-बारे में प किरतान की कल्पना के विषय में बताया है; अगर हां, तो क्या मंत्री महोदय समझते हैं कि उनकी जो कल्पना है, उनके जो आइडियाज हैं, हम उन पर कुछ वर्क करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं।

श्री दिनेश सिंह : मैं इसी लिये अभी बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि, जैसा कि मैंने कहा है, हम अभी इस पत्र को अच्छी तरह से देख रहे हैं। चूँकि माननेय सदस्य ने एक बात यहां पर उठाई है, इसलिये मुझे इस का स्पष्टीकरण करना पड़ेगा कि ताशकंद घोषणा की नवीं क्लाऊं में जायंट मशीनरी की

जो बात कही गई थी, प्रधान मंत्री ने उसके आधार पर इस जायंट मशीनरी का सुझाव रखा था। माननीय सदस्य ने जो सैलफ-एक्सीक्यूटिंग मशीनरी की बात कही है, वह तो एक दूसरी बात है। वह कोई नया सुझाव नहीं है। बहुत दिनों से, शुरू से ही, पाकिस्तान वी तरफ से आरविट्रेशन का सुझाव दिया जाता रहा है, ताकि इसमें बाहर के लोग शामिल किये जायें। हमारा कहना हमेशा से यह रहा है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ ना-इत्तिहासिकी है, इसको आपस में ही तय करना चाहिये, इसमें बाहर के लोगों को नहीं लाना चाहिए।

—
13.20 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annual Report of ISI

THE DEPUTY MINISTER (SHRIMATI NANDINI SATAPATHY) : On behalf of Shrimati Indira Gandhi, I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the Indian Statistical Institute, Calcutta, for the year 1967-68. [Placed in Library. See. No. LT-1431/69.]

Papers under Tariff Commission Act

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI B. R. BHHGAT) : I beg to lay on the Table a copy of each of the following papers under sub-section (2) of section 16 of the Tariff Commission Act, 1951 :

- (1) (ii) Report (1962) of the Tariff Commission on the prices of Cotton Yarn and Cloth.
- (ii) Government Resolution (Hindi and English versions) No. 1 (15)-Tax (I)/66-Tex (A) dated the 15th May, 1969 on the above Report.
- (2) A statement showing reasons why the documents mentioned at-(1) above could not be laid on the